प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 31.07.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 31.07.2025 को निम्न अभियोगों मे सजा करायी गयी है।

1. थाना बसरेहर

इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को27,000-27,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बसरेहर, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को 27,000-27,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.10.2018 को वादी अनुरुद्ध पुत्र जयराम सिंह निवासी चकवा खुर्द थाना बसरेहर जनपद इटावा नें अभियुक्तगण द्वारा खेत के पानी लगाने के विवाद को लेकर वादी के भाई की गोली मार कर हत्या कर देना तथा चाचा को जान से मारने की धमकी देते हुये भाग जाने के संबंध में थाना बसरेहर पर **मु0अ0सं0-191/2018 धारा 302/506 भादवि पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बसरेहर पुलिस टीम, पैरोकार का0 संदीप कुमार यादव एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप अभियुक्तों को आज दिनांक 31.07.2025 अन्तर्गत धारा 302/506 भादवि में **मा0 न्याया0 ADJ-III स्पेशल डकैती कोर्ट इटावा** द्वारा **आजीवन कारावास व प्रत्येक को 27,000-27,000/- रु0** से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **बोबी उर्फ अवनीत पुत्र राजेश कुमार निवासी चकवा खुर्द थाना बसरेहर जनपद इटावा।**
2. **नीशू उर्फ नवनीत पुत्र राजेश कुमार निवासी चकवा खुर्द थाना बसरेहर जनपद इटावा।**

2 .थाना बसरेहर

इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 02 वर्ष को कारावास व 2,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बसरेहर, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 02 वर्ष को कारावास व 2,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07.11.2018 को थाना बसरेहर पर अभियुक्त की निशादेही से बरामद आलाकत्ल तमंचा(पिस्टल) व मैगजीन (संबंधित मु0अ0सं0-191/2018 धारा 302/506 भादवि) **के संबंध में मु0अ0सं0 207/2018 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बसरेहर पुलिस टीम, पैरोकार का0 संदीप कुमार यादव एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप अभियुक्तों को आज दिनांक 31.07.2025 अन्तर्गत धारा 3/25 भादवि में **मा0 न्याया0 ADJ-III स्पेशल डकैती कोर्ट इटावा** द्वारा **02 वर्ष के कारावास व 2,000/- रु0** से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **बोबी उर्फ अवनीत पुत्र राजेश कुमार निवासी चकवा खुर्द थाना बसरेहर जनपद इटावा।**